(५१)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 564–पीबीआर/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–1–2006 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण क्रमांक 349/2003–04 अपील

1– केशरसिंह 2– अमर सिंह 3– माठूलाल
पुत्रगण शंकरलाल
4– महिला मोहरवाई पत्नि शंकरलाल
5– रमेश पुत्र देवचंद सभी ग्राम बालाबरखेड़ा
तहसील व जिला विदिशा ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– मोतीराम पुत्र गोरेलाल
2– नन्नूलाल पुत्र देवचंद
निवासी ग्राम बालाबरखेड़ा तहसील विदिशा
3– श्रीमती गोमती पत्नि भैयालाल
निवासी अहमदनगर तहसील विदिशा
4– श्रीमती सावित्रीवाई पत्नि धनीराम
निवासी भोपाल
5– श्रीमती कमलावाई पत्नि रामसिंह
6– भगवानसिंह पुत्र देवचंद दोनों निवासी
बालाबरखेड़ा तहसील व जिला विदिशा ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(आवेदक–1 के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)
(शेष अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 7–1–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 349/2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–1–2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्र-1 ने तहसीलदार विदिशा को प्रार्थना पत्र देकर मांग रखी की ग्राम बाला बरखेड़ा स्थित आराजी क्रमांक 28,29,30,220,250/1,251 कुल रकबा 7.391 है. (आगे जिसे वादोक्त भूमि अंकित किया है) सामिलाती भूमि है जिसका वह बटवारा चाहता है अतएव बटवारा किया जाय। अति. तहसीलदार विदिशा ने प्रकरण क्रमांक 6 अ 27/2001-02 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 20.1.2003 पारित किया एंव पक्षकारों के बीच फर्द बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा के समक्ष अपील क्रमांक 65/2002-03 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 5-4-2004 से अपील अमान्य की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील क्रमांक 349/2003-04 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 28-1-2006 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण एंव अनावेदक क्र-1 के अभिभाषक के तर्क सुने । शेष अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण एंव अनावेदक क्र-1 के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि वादोक्त भूमि बटवारे के पूर्व केशरसिंह, माठूलाल, अमरसिंह पुत्रगण शंकरलाल एंव मोहरवाई पत्नि शॅकरलाल के नाम हिस्सा 2.005 हैक्टर पर एंव मोतीराम पुत्र गोरेलाल के हिस्सा 2.504 हैक्टर , नन्नूलाल,रमेशकुमार, भगवानसिंह एंव सुन्दरवाई के हिस्सा 2.882 पर धारित रही है।

अति. तहसीलदार ने रिकार्ड के मुताविक फर्द तैयार कराकर आदेश दिनांक 20.1.2003 से पक्षकारों के बीच बटवारा किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी विदिशा ने प्रकरण क्रमांक 65/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-4-04 से एंव अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण क्रमांक 349/03-04 में पारित आदेश दिनांक 28-1-2006 से अति0तहसीलदार विदिशा के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से उनके व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती होना पाये गये हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण क्रमांक 349/03-04 में पारित आदेश दिनांक 28-1-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर